

रीडर

पदाकारण उपस्थित / पीठासीन

चुनाव कार्य के
प्रकरण दिनांक 28/12/23

का परा हो।


रीडर

28.12.23

पत्रावली पेश हुई वादी स्वयं उपास्थित हुआ/वादी
द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विद्रोह का प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि वह वाद विद्रोह कर नया वाद प्रस्तुत करना चाहता
है नया वाद प्रस्तुत करने के वादी के अधिकार को सुरक्षित
रखते हुए वाद विद्रोह करने की स्वीकृति प्रदान करे जावे।

पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाकर
प्रार्थी को सुना गया प्रकरण वामिल हेतु न्यत है। वादी वाद
विद्रोह कर नया वाद प्रस्तुत करना चाहता है। अतः वादी के नया
वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद विद्रोह
करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वादी द्वारा वाद विद्रोह किया जाने से प्रकरण इसी स्तर
पर निश्चरित किया जाता है। निर्णय लेर इजलास सुनाया जाय
प्रकृत फॉर्मल शुमार होकर नम्बर से कम है।



पंकज भावर्मा

IAS

उपखण्ड अधिकारी

गिर्वा, उदयपुर